प्रेषक,

एम0सी0 जग्रती,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
टिहरी गढवाल / चमोली / चम्पावत।

पंचायतीराज एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुभाग: देहरादून दिनांक 19 फरवरी, 2009

विषयः– पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि (बी0आर0जी0एफ0) के अन्तर्गत क्षमता निर्माण निधि हेतु वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिये धनराशि अवमुक्त किये जाने संबंधी।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या N-11019 / 452 / 2007 -Pol.I दिनांक 24–12–2008 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि (बी0आर0जी0एफ0) के अन्तर्गत क्षमता विकास कार्यक्रम हेतु भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि प्रति जनपद क्रमशः टिहरी गढवाल, चमोली एवं चम्पावत हेतु रूपये 03 करोड (रूपये तीन करोड मात्र) की दर से वित्तीय वर्ष 2008–09 में रूपये 09 करोड (नौ करोड मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः–

1– उक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृति के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर इस उद्देश्य से बनाये गये एक शीर्ष "जिला ग्रामीण विकास एजेंसी" के पक्ष में रखी जायेगी। ऐसा न करने पर बाद की किश्तें जब्त हो जाने तथा इससे पूर्व जारी किश्तों को ऋण मान लिये जाने के निदेश निर्देश है।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग योजना आयोग भारत सरकार द्वारा पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि के लिये निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा।

3– उक्त आवंटित धनराशि को ऐसे मद पर व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, तो ऐसा व्यय स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाये। स्वीकृत धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों/मार्ग निर्देशक सिद्धान्त के अनुसार ही सुनिश्चित किया जायेगा।

4– पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि में विकास खण्ड, जिला एवं राज्य स्तर पर मासिक अनुश्रवण किया जायेगा। जनपद स्तर पर योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों के संचालन से पूर्व की स्थिति की बेंचमार्किंग/फोटो सहित विवरण तैयार कराया जायेगा। विकास खण्ड, जिला, राज्य स्तर पर मध्यावधि मूल्यांकन तथा उसके आधार पर कार्य नीति एवं योजना का संचालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5– स्वीकृत धनराशि की योजनावार आवंटन की सूचना शासन को एक माह के भीतर उपलब्ध करायी जाय धनराशि के व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन, भारत सरकार एवं महालेखाकार को यथासमय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायें।

6– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिशा निर्देशों के अनुसार पूर्ण उपयोग कर इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप पर शासन एवं योजना आयोग, भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

क्रमशः 2 पर.....

7– यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत धनराशि [illegible] व्यय करते समय बजट मैनुअल, [illegible] स्टोर पर्चेज रूल्स, टण्डर/कोटेशन एवं मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा निर्गत आदेश एवं अन्य तद्विषयक आदेशों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

8– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु जिलाधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

9– उक्त स्वीकृत धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–19 के लेखाशीर्षक–2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम – आयोजनागत – 101–पंचायतीराज–14–पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि–42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

10– यह स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–308(P)/XXVII–4–09 दिनांक 13 फरवरी, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एम0सी0 उप्रेती)
अपर सचिव।

संख्या 59(1)/XII/07/82(10)/2007 टी0सी0–1 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2. निदेशक, पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को पत्र सं0 N-11019/452/2007-pol.I दिनांक 24.12.2008 के क्रम में सूचनार्थ।
3. उप सलाहकार, योजना आयोग (एम.एल.पी. प्रभाग), भारत सरकार योजना भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
4. सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. मुख्य विकास अधिकारी, टिहरी गढ़वाल/चमोली/चम्पावत।
7. निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी टिहरी गढ़वाल/चमोली/चम्पावत।
9. निजी सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मुख्यमंत्री के संज्ञानार्थ।
10. श्री एल0एम0 पन्त, सचिव, वित्त, बजट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
11. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, लक्ष्मी रोड, देहरादून/वित्त–1।
12. विभागीय पत्रावली/सुमन्वयक, एन0आई0सी0 सचिवालय, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(जे0एल0 शर्मा)
अनुसचिव।